यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रुदरपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रुदरपुर के माह 12/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 6/12/2018 से 17/12/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व सुनील कुमार स ले प अ द्वारा दिनांक..... से ..... तक श्री जगमोहन सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ----- से ----- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सिंचाई योजनाओ को सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण जिला ऊधम सिंह नगर एव पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-2016	-	-	492.30	492.30	4306.60	4306.60		
2016-2017	-	-	451.60	451.60	2490.31	2490.29		
2017-2018	-	-	515.25	515.25	1102.44	1091.70		10.74
2018-19 (up to date)	-	-	399.58	347.25	1019.36	813.		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	AIBP CSSR		297.86 695.43	160.00 230.00	137.86 465.43
2016-17	AIBP CSSR		225.26 465.43	00 150.00	225.26 315.43
2017-18	CSSR		315.43	77.80	237.63
2018-19		-	-	-	

(iii) गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) इकाई की श्रेणी "A" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कलागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहारादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता (6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रुदरपुर को (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रुदरपुर, (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 7/2018 एवं 3/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971

(डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा .....13....., लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .. .. से ... तक शून्य निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 9/2017 तथा 9/2015 तक की गई। (पंजिका अपूर्ण थी)
5. फार्म 51: माह 11/2018 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ` (-)2099265.96

   भाग द्वितीय ` 1936526.00

   खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 308781.96

   (ख) सामग्री क्रय NIL

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप ` 17656167.96

   (ङ) भण्डार ` (-) 478839.00

प्रस्तर सं0 1 रू0 38.41 लाख जी0एस0टी0 धनराशि का संविदाकरों को अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of .....

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight Insurance Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure) Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि का भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या

दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशाय से करता है, तो ऐसी शस्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड रूद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 1/2018 से माह 3/2018 तक संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस प्राप्त किये ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान रू0 3,20,08,750.00 किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें,जबकि प्रावद्यानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था,यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की मॉग की गई होती तो ही अन्यथा नही। संविदकार के द्वारा ना तो अलग से शिडुयल बी में कर की अलग से मॉग की गयी थी, और ना ही उसनें द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर मॉग की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं उसमे ही 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 38,41,050.00 का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर बताया गया कि आडिट आपत्ति स्वीकार योग्य है, भविष्य में संविदाकरों को किये जाने वाले समस्त भुगतान निर्धारित प्रारूप में टैक्स इन्वाइस प्राप्त करने के उपरान्त ही किये जायेगे। पूर्व में किये जा चुके भुगतानों के सम्बन्ध में संविदाकरों को उक्त अवंधि की टैक्स इन्वाइस खण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किये जायेगे। यदि उनके द्वारा जारी आदेशों के सापेक्ष मॉगी गई टैक्स इन्वाइस उपलब्ध नही कराई जाती है तो उनसे अतिरिक्त भुगतान 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भॉति करके शासकीय खातों में जमा कर दी जायेगी। जिसकी सूचना कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार को भी दी जायेगी।

खण्ड कार्यालय के द्वारा स्वंय ही आडिट आपत्ति को स्वीकार कर वसूली की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-2 : रु 3,08,781.00 विविध अग्रिम वसूली हेतु लंबित राशि रहने का प्रकरण ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो /ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 11/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मों/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु 3,08,781.00 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे समायोजन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि - पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु 3,08,781.00 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर-3 : रु 4477.51 लाख राशि के 3 कार्यो को 1327 टुकड़ो मे किए जाने का प्रकरण।

उतराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार 3(1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

(2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी।

(3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा।

(4) अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिएं जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भण्डारण लागत (इन्वेन्टरी कैरिईगं कॉस्ट) में अनावश्यक वृद्धि न हो।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है।

(6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है।

(7) सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होगा कि प्रस्तावित दरें युक्तियुक्त हैं और गुणवत्ता के अनुरूप हैं।

(8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए।

(9) परक्रामण(निगोषिएशन) से बचा जाए और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले (एल–1) से ही समझौते की वार्ता की जा सकेगी तथा ऐसे परक्रामण के कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएं।

(10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

(11) एकरूपता बनाए रखने तथा कार्य की पुनरावृत्ति और सम्भावित त्रुटियों से बचने के लिए अधिप्राप्ति हेतु मानक निविदा दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(12) विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि संविदा, निविदा के वैध समय के अन्दर ही दी जाए और निविदा की वैध तिथि बढाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जाए।

(13) वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम क्रेता प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः–

(एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले,

(दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए,

(तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और

(चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

42(1) कार्यो के समूहको,जो एक परियोजना के ही भाग हैं, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के

अलग–अलग टुकड़े न किये जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े। यह प्राविधान ऐसे कार्यों पर लागू नहीं होंगे, जो समान प्रकृति के होते हुए भी अपने में पूर्णतया स्वतंत्र हों।
24(1) सभी शासकीय क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पादित किये जायं, ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। ऐसा करने से भावी निविदादाता पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत कर सकेंगे। (2) उपरोक्त विशिष्टताओं को सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय निम्नवत हैं :–
(एक) निविदा दस्तावेज का विषय स्वयं में पूर्ण, विषद, स्वतः स्पष्ट हो। निविदादाता द्वारा प्रभावी निविदा प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यक सूचनायें, जो निविदादाता को स्पर्धात्मक निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक हों, सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखी जाये। निविदा विषयक दस्तावेजों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दु अर्न्तनिहित होने चाहियें :–
(क) निविदादाताओं के लिए आवश्यक अर्हता तथा पात्रता के मापदण्ड– जैसे न्यूनतम स्तर का अनुभव कितना है, विगत कार्यपूर्ति (परफारमेंस), तकनीकी कार्यक्षमता, विनिर्माण की सुविधायें, वित्तीय स्थिति आदि, जिनका निविदादाता द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक होगा,

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत जिला उधमसिंह नगर के नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो को अत्यधिक टुकड़ो (1327) मे विभाजित किया गया है इस कारण से स्पर्धात्मक दरो का लाभ निम्न निर्माण कार्यो मे नहीं मिल सका विवरण निम्नलिखित है ।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	आवंटित राशि	व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य के किए गए टुकड़े ।
1	बौर हरिपुरा बांध के आधुनिकीकरण	3452.14 लाख	3452.14 लाख	पूर्ण	830
2	खजिया नहर के किमी 4.525 से किमी 6 के मध्य लाइनिंग का कार्य ।	92.22 लाख	55.13 लाख	54% प्रगति पर	28
3	जसपुर विकास खंड की 3 नहरे तथा रामसागर नहर ,जूनार नहर प्रणाली की लाइनिंग योजना	933.15 लाख			469
		4477.51 लाख			1327

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि अलग -अलग वर्षो मे धन आवंटन के कारण एव कार्य को जल्दी करने की महत्ता को देखते हुये व क्षेत्रीय ठेकेदारो को रोजगार के उद्देश्य से टुकड़ो मे विभाजित किया गया है ।
उत्तर लेखा परीक्षा को इस कारण से मान्य नहीं है कि उपरोक्त नियम उतराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3 (10), 42(1), 24, का सीधा उलंघन है इस नियम का वित्त विभाग द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है एव उपरोक्त निर्माण कार्य नाबार्ड से ऋण ले कर स्वीकृत किए गए है अत: उपरोक्त रु 4477.51 लाख राशि के 3 कार्यो को 1327 टुकड़ो मे किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर - 1 : रु 1,36,468.04 जमा एव रु 4,50,431.00 भुगतान के अंतर असमायोजित रहने का प्रकरण।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 741 के अनुसार माह की समाप्ती पर यथाशीघ्र खंड के लेन-देन का कोषागार के साथ मासिक मिलान एव भिन्नताओ का समायोजन किया जाना चाहिए । कार्यालय की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि - फार्म 51 के माह 11/2018 के भाग प्रथम के अनुसार धनराशि रु 136468.04 (विवरण संलग्न) को कोषागार द्वारा जमा के रूप मे सत्यापित नहीं किया गया है कार्यालय द्वारा जमा होना दर्शाया गया है इस राशि का कोषागार से सत्यापन/समाधान अभी तक नहीं किया गया है एवं भाग दो के अनुसार रु 450431.00के चेक खंड द्वारा निर्गत नहीं किए गए परंतु खंड की सी टी आर (Reconciliation sheet) मे आहरित दर्शाये गए है । यह अंतर वर्ष 1997 से 2016 के मध्य का है इस संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- फार्म -51 तैयार करने के पश्चात उक्त अवशेष प्रदर्शित हो रहे है जिसके समायोजन हेतु कोषागार से पत्राचार/मिलान की कार्यवाही की जा रही है मिलान के उपरांत लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा ।

उत्तर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यह प्रकरण कोषागार मे जमा राशियो से संबन्धित है समाधान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशि यदि कोषागार मे जमा नहीं हुई है तो इसके क्या कारण है एव जो चेक खंड द्वारा जारी नहीं किए गए उनका भुगतान होने के क्या कारण है इस संबंध मे यथा संभव उचित कार्यवाही की जा सके ।

अत: रु 136468.04 जमा एवं रु 450431.00 भुगतान के अंतर को असमायोजित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
20/2003-04	-	1,2	-
90/2005-06	01	1AB,2	-
29/2008-09	-	1,2	-
33/2010-11	-	1,2	-
17/2013-14	-	1,	-
40/2014-15	-	1,2,3	-
20/2015-16	-	1,2	-
92/2016-17	-	1,2	-
64/2017-18	-	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेषित की जाएगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रुदरपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1) श्री	दीक्षांत	अधिशासी अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

(1) श्री	गणेश सिंह	खण्डीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता सिचाई खंड, रुदरपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2